

20.01.2025:-दिनांक 18.01.2025 को राजकिय अवकाश होने के कारण आज दिनांक 20.01.2025 को पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता का मूल वाद पत्र प्रार्थना पत्र अदम हाजरी मे खारिज हो गया। इसलिए मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। वादपत्र अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 17.03.2020 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

*Handwritten signature*

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डधिकारी  
हनुमानगढ़

